



बिहार सरकार
समाहरणालय, सुपौल
सुपौल - 852131
(जिला योजना कार्यालय)

दूरभाष : 06473-223153 (कार्यालय)
06473-223153 (फैक्स)
E-mail : dposupaul001@gmail.com

कोटेशन आमंत्रण सूचना


सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल-लोकसभा) द्वारा निम्न योजना की अनुशंसा की गई है। जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	योजना का नाम	स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1	जवाहर नवोदय विद्यालय, सुपौल में दो सेट 40 लीटर वाली वाटर कूलर (प्यूरिफाईड के साथ) का अधिष्ठापन।	जवाहर नवोदय विद्यालय, सुपौल	
2	इंडोर स्टेडियम, सुपौल के लिए खेल-कूद उपस्कर यथा विलियर्स टेबल, बैडमिंटन एवं कोर्ट मेट तथा 6 स्टेशन जिम।	नगर परिषद, सुपौल	

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के साथ इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

शर्तें :-

1. इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान से दिनांक 02.03.2020 के 03:00 बजे अपराहन तक जिला योजना कार्यालय, सुपौल में सील बंद लिफाफे में कोटेशन प्राप्त किया जाएगा एवं उसी दिन अपराहन 4:00 बजे क्रय समिति के समक्ष प्राप्त कोटेशन को खोला जायेगा, जिसमें कोटेशनदाता/उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
3. आपूर्ति एवं अधिष्ठापित किये जानेवाले सामग्री की गुणवत्ता ISI/BIS विशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिए।
4. कोटेशनदाता को GST में निबंधन से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।
5. कार्यादेश के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर कार्य पूर्ण करना होगा। कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ही नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
6. आपूर्ति एवं अधिष्ठापित किये जाने वाले सामग्री का एक वर्ष तक रख-रखाव/मरम्मत करना अनिवार्य होगा।
7. उपरोक्त वर्णित कार्य के लिए समर्पित किये जानेवाले विपत्र में नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
8. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री के अधिष्ठापन एवं परिवहन इत्यादि पर होनेवाले व्यय का भुगतान आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा।
9. क्रय समिति को बिना कारण बताए कोटेशन आमंत्रण सूचना को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा इसके लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ आपूर्तित सामान के कुल राशि का 2.5 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, सुपौल के पदनाम से होगा एवं सुपौल में भुगतेय होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा यह राशि एक वर्ष के बाद कोटेशनदाता को देय होगा।


उप विकास आयुक्त,
सुपौल।